# कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/05/2025

श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री अमर सिहं जाटव निवासी उच्चैन, तहसील उच्चैन जिला भरतपुर मो. नं. 9785028619

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उच्चैन

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 12.03.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री अमर सिहं जाटव निवासी उच्चैन, तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उच्चैन के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/25/124 दिनांक 19.02.2025 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन से पत्रांक आर.टी.आई./25/37 दिनांक 25.02.2025 से जबाब/सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

बिन्दु सं0 01 एवं 02 के प्रत्युत्तर में अंकित किया है कि ......'' सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय में पूर्व से उपलब्ध सूचना जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में दिया जाने का प्रावधान है। भौतिक कब्जे एवं अवैध कब्जे की सूचना रिकॉर्ड की सूचना ना होकर मौके से सम्बन्धित है। आप द्वारा सूचना का सृजन चाहा गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय सूचना की श्रेणी में नहीं आता है।.......'' की सूचना से कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई. / 24 / 194 दिनांक 27.12.2024 से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उच्चैन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उच्चैन को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर